



## स्नातक स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं अभिप्रेरणा में तुलनात्मक अध्ययन

शोधार्थी

डॉ० डी० एस० गड्डिया

\*सन्तोष डबराल

ऐसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग,

हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, देहरादून

हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, देहरादून

सारांश— प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्नातक स्तर की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं अभिप्रेरणा के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं उनकी अभिप्रेरणा के मध्य के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श हेतु उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्डल में स्थित हेमवती नन्दन केन्द्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों से 600 छात्राओं का चयन किया गया है। प्रस्तुत अनुसंधान कार्य हेतु अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के शोध से सम्बन्धित आंकड़ों को संग्रहण हेतु निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया है—शैक्षिक उपलब्धि हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंको का प्रयोग किया गया। अभिप्रेरणा से सम्बन्धित आंकड़ों के संग्रहण हेतु डॉ०टी०आर० शर्मा (पटियाला) द्वारा निर्मित 'शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि शहरी क्षेत्रों के महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं का शैक्षिक उपलब्धि एवं अभिप्रेरणा का मध्यमान स्तर ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की उपेक्षा श्रेष्ठ पाया गया।

प्रस्तावना — प्राचीन काल में शिक्षा को न तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची माना गया और न ही जीवकोपार्जन का साधन, इसके विपरीत शिक्षा को वह प्रकाश माना गया, जो व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास करने, उत्तम जीवन व्यतीत करने और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देती है। दूसरे शब्दों में शिक्षा को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति का पथ प्रदर्शित करने वाला प्रकाश माना गया है।

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय

प्राचीन काल में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। इसका एक प्रभाव यह है कि शिक्षा को प्रकाश का एक स्रोत, अन्तर्दृष्टि, अन्तर्ज्योति ज्ञान, चक्षु और मनुष्य का तृतीय नेत्र माना जाता था। "ज्ञानः मनुष्यस्य तृतीय नेत्रम्" इस युग में भारतीयों को यह विश्वास था कि शिक्षा का प्रकाश व्यक्ति के सब संशयो का उन्मूलन और उसकी सब बाधाओं का निवारण करता है। शिक्षा से प्राप्त अन्तर्दृष्टि व्यक्ति की बुद्धि विवेक और कुशलता में वृद्धि करती है। शिक्षा व्यक्ति को वास्तविक शक्ति से सम्पन्न करती है। उसके सुख-सुयश और समृद्धि में योग देती है। उसको जीवन के यथार्थ के महत्व को समझने में क्षमता प्रदान करती है और उसे भवसागर से पार कराकर मोक्ष प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है।

इस प्रकार शिक्षा को प्रकाश की ओर शक्ति का एक ऐसा स्रोत माना जाता है, जो हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरन्तर एवं सामंजस्य पूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित एवं उत्कृष्ट बनाती है। ताकि व्यक्ति एक योग्य, सभ्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनकर समाज का कल्याण कर सके और इस प्रकार की शिक्षा का जन्म माता से होता है। शायद इसीलिए संसार में प्रायः सभी महापुरुषों ने अपने

महान कार्यों के लिए अपनी माता का ऋण स्वीकार किया है। माता ही बाल्यकाल में उन गुणों का शिक्षा रूपी बीज बो देती है, जिनके अंकुरित एवं पल्लवित होने पर व्यक्ति आगे चलकर महान बनता है। ऐसा माना जाता है कि एक अशिक्षित माँ अपने बालकों का लालन-पालन उचित रीति से नहीं कर पाती है, अतः स्त्री शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

तकनीकी शब्दों का अर्थ

अन्य पिछड़ा वर्ग

अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ऐसी जातियों को रखा गया है जो शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। भारतीय संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग "सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग" के रूप में परिभाषित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों तथा उच्च शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति से तात्पर्य ऐसे वर्ग विशेष से है जो भारत में ऐतिहासिक रूप से शोषण का शिकार रहा है। इस वर्ग को भारत में अछूत वर्ग के नाम से भी जाना जाता था। अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ प्रमुख जातियाँ हैं— चुहड़ा, भंगी, चमार, डोम, पासी, रैगर, मोची, राजबन्सी, दोसड़, शानन्, थियान, पेरेयां तथा कोरी आदि। हिन्दू वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत वे जातियाँ अनुसूचित जातियाँ हैं जिन्हें समाज में निम्न स्थान प्राप्त है, जो सैकड़ों वर्ष से आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी, उपेक्षित तथा समाज के उच्च वर्ग द्वारा शोषित रही हैं, फिर भी सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से समाज की मुख्यधारा से जुड़ी रही है।

स्नातक स्तर

प्रस्तुत शोध कार्य में स्नातक स्तर से तात्पर्य उन स्नातक स्तरीय छात्राओं से है जो स्नातक (B.A., B.Sc., B.Com) प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक अध्ययनरत है को शामिल किया गया है।

शैक्षिक उपलब्धि

प्रस्तुत अध्ययन में शैक्षिक उपलब्धि से आशय बालकों के शैक्षिक रिकार्ड से है। शैक्षिक उपलब्धि विद्यार्थियों द्वारा किये जाने वाले कक्षा शिक्षण का प्रतिफल होता है। शैक्षिक उपलब्धि को कक्षा का वातावरण, पारिवारिक आर्थिक स्तर, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक उत्कंठा माता-पिता का बच्चे के प्रति व्यवहार एवं किशोरावस्था आदि घटक प्रभावित करते हैं।

अभिप्रेरणा

प्रस्तुत अध्ययन में अभिप्रेरणा से तात्पर्य व्यक्ति की उस आन्तरिक अवस्था से है जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए व्यक्ति को अग्रसर करती है एवं सीखने की प्रक्रिया को नया जीवन देती है। अभिप्रेरणा मोटे तौर पर किसी क्रिया को उत्तेजित, प्रोत्साहित तथा नियन्त्रित करना : सीमित अर्थ में व्यवहार को क्रियाशील बनाने तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे नियन्त्रित करने की प्रक्रिया है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में अभिप्रेरणा छात्र को इच्छित कार्य करने के लिए प्रेरित करना एवं रुचि उत्पन्न करना है।

अध्ययन के उद्देश्य—

- स्नातक स्तर के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।
- स्नातक स्तर के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति की छात्राओं में अभिप्रेरणा का अध्ययन करना।

परिकल्पना—

- ❖ स्नातक स्तर के ग्रामीण (अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति) एवं शहरी (अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति) की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर होता है।
- ❖ स्नातक स्तर के ग्रामीण (अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति) एवं शहरी (अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति) की छात्राओं की अभिप्रेरणा में अन्तर होता है।

सीमांकन

- अध्ययन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से सम्बद्ध आने वाले महाविद्यालयों को शामिल किया गया है।
- अध्ययन में हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से सम्बद्ध, आने वाले ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के महाविद्यालयों की छात्राओं को शामिल किया गया है।

न्यादर्श— प्रस्तुत अनुसंधान कार्य को पूरा करने हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से सम्बद्ध महाविद्यालयों में से ग्रामीण क्षेत्र के सह-शिक्षा महाविद्यालय के 7 महाविद्यालयों से 120 छात्राएँ अनुसूचित की और 120 छात्राएँ अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा शहरी क्षेत्र के सह-शिक्षा महाविद्यालयों में से 7 महाविद्यालयों से 120 छात्राएँ अनुसूचित जाति तथा 120 छात्राएँ अन्य पिछड़ा वर्ग की साथ ही कन्या महाविद्यालयों में से 4 महाविद्यालय से 60 अनुसूचित जाति की एवं 60 अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को न्यादर्श में शामिल किया गया है। इस प्रकार पूरे न्यादर्श में 600 छात्राओं को न्यादर्श में शामिल किया गया है जो 18 महाविद्यालयों से चयनित की गयी है।

उपकरण—

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य हेतु अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के शोध से सम्बन्धित आकड़ों को संग्रहण हेतु निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया गया है —

- ❖ शैक्षिक उपलब्धि हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंको का प्रयोग किया गया।
- ❖ अभिप्रेरणा से सम्बन्धित आकड़ों के संग्रहण हेतु डॉ०टी०आर० शर्मा (पटियाला) द्वारा निर्मित 'शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं संग्रहण—

स्नातक स्तर की ग्रामीण (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं शहरी (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) की स्नातक स्तर की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना —

शून्य परिकल्पना


स्नातक स्तर की ग्रामीण (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं शहरी (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) की स्नातक स्तर की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

छात्राएँ	न्यादर्श	माध्य	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
ग्रामीण अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	240	291.34	44.02	2.303	सार्थक
शहरी अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	240	300.95	47.35		

स्वतन्त्रता का अंश(d.f.) = 478

क्रान्तिक अनुपात तालिका का मान—.05 स्तर = 1.96 .01 स्तर = 2.58

उपर्युक्त तालिका संख्या 1 से ज्ञात होता है कि परिकल्पित क्रान्तिक अनुपात मान (2.303), सार्थकता स्तर 0.05 पर दिये गये सारणी मान 1.97 से अधिक है, एवं 0.01 पर दिये गये सारणी मान से कम है। जिससे स्पष्ट होता है कि 0.05 सार्थकता स्तर पर ग्रामीण अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शहरी अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक अन्तर है। शैक्षिक उपलब्धि के सन्दर्भ में दोनों समूह के मध्यमानों की तुलना करने पर ज्ञात होता है, कि ग्रामीण अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (291.34) तथा शहरी अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं का (300.95) से मध्यमान कम है, अतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की अपेक्षा शहरी अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि स्तर अधिक है। शैक्षिक उपलब्धि के मध्यमानों को आरेख संख्या 1 में दर्शाया गया है।



प्राप्त परिणाम के आधार पर शोध की परिकल्पना "ग्रामीण क्षेत्र की (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) तथा शहरी क्षेत्र की (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि स्तर में अन्तर होता है। "स्वीकृत" होती है। तथा शून्य परिकल्पना "ग्रामीण क्षेत्र की (अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग) एवं शहरी क्षेत्र की (अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग) की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि स्तर में सार्थक अन्तर नहीं होता है। "अस्वीकृत" है।

तालिका नं० - 2

स्नातक स्तर की ग्रामीण (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं शहरी (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) की छात्राओं की अभिप्रेरणा स्तर की तुलना – शून्य परिकल्पना

स्नातक स्तर की ग्रामीण (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं शहरी (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) की छात्राओं की अभिप्रेरणा में सार्थक अन्तर नहीं होता है।


छात्राएँ	न्यादर्श	माध्य	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
ग्रामीण अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	240	28.72	5.68	0.667	असार्थक
शहरी अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	240	28.38	5.40		

स्वतन्त्रता का अंश(d.f.) =478

क्रान्तिक अनुपात तालिका का मान-.05 स्तर = 1.96 .01 स्तर = 2.59

उपर्युक्त तालिका संख्या 2 से ज्ञात होता है कि परिकलित क्रान्तिक अनुपात मान (0.667),सार्थकता स्तर 0.05 पर दिये गये सारणी मान 1.97 से कम है, जिससे स्पष्ट होता है कि 0.05 सार्थकता स्तर पर ग्रामीण अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शहरी अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की अभिप्रेरणा के मध्य सार्थक अन्तर नहीं होता है। अभिप्रेरणा के सन्दर्भ में दोनों समूह के मध्यमानों की तुलना करने पर ज्ञात होता है, कि ग्रामीण अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (28.72) तथा शहरी अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं का (28.38) से मध्यमान कम है, अतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की अपेक्षा शहरी अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की अभिप्रेरणा स्तर कम है। अभिप्रेरणा के मध्यमानों को आरेख संख्या 2 में दर्शाया गया है।

आरेख संख्या-2



प्राप्त परिणाम के आधार पर शोध की परिकल्पना "ग्रामीण क्षेत्र की (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) तथा शहरी क्षेत्र की (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) की छात्राओं की अभिप्रेरणा में अन्तर होता है। "अस्वीकृत" होती है। तथा शून्य परिकल्पना "ग्रामीण क्षेत्र की (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) तथा शहरी क्षेत्र की (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) की छात्राओं की अभिप्रेरणा में सार्थक अन्तर नहीं होता है। "स्वीकृत" होती है।

### निष्कर्ष-

1. स्नातक स्तर की ग्रामीण (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं शहरी (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर होता है।

### व्याख्या

हर व्यक्ति इस बात को निर्विवाद रूप से सत्य मानता है कि शैक्षिक उपलब्धि ही प्रत्येक उपलब्धि का आधार है। अतः इसको प्राप्त किये बगैर सामाजिक जीवन में सुधारात्मक प्रगति सम्भव नहीं है। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर पाया जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है। क्योंकि अनुसूचित जाति की छात्राओं की आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, एवं अन्य कारणों से वे आज भी लाभान्वित नहीं हुई हैं जिसके

फलस्वरूप अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की शैक्षिक एवं अन्य स्तर उनसे भिन्न एवं ठीक है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का महत्व उनके शैक्षिक वातावरण पर आधारित होता है। ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिए शैक्षिक उपलब्धि उनकी आर्थिकता आधार पर सीमित होता है, जबकि शहरी क्षेत्रों की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि उनके वातावरणीय के आधार पर प्रभावशाली होता है। यही आधार है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर पाया जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है।

2. स्नातक स्तर की ग्रामीण (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं शहरी (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) की छात्राओं की अभिप्रेरणा में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

व्याख्या

छात्राओं को प्राप्त होने वाली अभिप्रेरणा सभी को समान रूप से प्राप्त होती है। कक्षा में या विद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के समान ही अनुसूचित जाति की छात्राओं को अभिप्रेरित करने वाले उद्दीपक समान रूप से प्राप्त होते हैं। सभी को समानता एवं शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अध्ययन में शहरी क्षेत्र की छात्राओं की अभिप्रेरणा स्तर ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं की अपेक्षा उच्च पाया गया लेकिन दोनों के मध्य अभिप्रेरणा के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर प्रतीत नहीं होता है। इसका कारण शायद यह है। ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को अपने परिवार महाविद्यालय से काफी हद तक अभिप्रेरणा मिलती रहती है। जिसके कारण दोनों में सार्थक अन्तर न पाया जाना सही प्रतीत होता है।

सुझाव

बालिका शिक्षा के प्रति अधिकांश माता पिता का दृष्टिकोण सकारात्मक होते हुये भी अनेक समस्यायें हैं। उनमें से कुछ प्रत्यक्ष रूप में और कुछ अप्रत्यक्ष रूप में, जब लड़की 10 साल के लगभग हो जाती है तो वह घर पर बच्चों के खिलौनों के अलावा उनके गरीबीपन को दूर करने में माता पिता के साथ बड़े लोगों के यहाँ कामपर जाती हैं। शिक्षा निःशुल्क होने के बावजूद भी बालिकायें घर में रोजी रोटी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहयोग करने के कारण जिस अनुपात में अनुसूचित जाति की बालिकाओं की प्रगति होनी चाहिये, नहीं हो सकती। उसी तरह ओबीसी की छात्राओं का लालन पालन होता है, छात्रायें अपनी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, जातीय, समस्याओं के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी आकांक्षायें, उपलब्धि एवं अभिप्रेरणा का त्याग करने के लिए तैयार हो जाती हैं यही कारण है कि छात्रायें प्रत्यक्ष रूप से अपने दायित्व को निभाने में कम सक्षम होता है। समाज में प्रत्येक को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हर सम्भव प्रयास करने चाहिए। अतः स्नातक स्तर की अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं में शैक्षिक उपलब्धि एवं अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ग को प्रयास करना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

1. डॉ० एस०पी० गुप्ता,(1999):“मापन एवं मूल्यांकन.”शारदा पुस्तक भवन, “यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद.
2. भटनागर एवं भटनागर,(1997):“शिक्षा अनुसंधान.”लायल बुक डिपो मेरठ, पेज नं०-47।
3. भटनागर एवं भटनागर,(1997):“शिक्षा अनुसंधान.”लायल बुक डिपो मेरठ, पेज नं०-47।
4. भटनागर,आर०पी०, एवं अन्य,(1997):“शिक्षा अनुसंधान.”लायल बुक डिपो मेरठ,पेज नं०-78।
5. डा० वी०बी० एवं शर्मा, वी०के०:“भारत में समाज:समकालीन परिप्रेक्ष्य”,“पीयूष प्रकाशन, मेरठ, पेज नं०-144।
6. डा० वी०बी० एवं शर्मा, वी०के०:“भारत में समाज:समकालीन परिप्रेक्ष्य”,“पीयूष प्रकाशन, मेरठ, पेज नं०-144।
7. डा० वी०बी० एवं शर्मा, वी०के०:“भारत में समाज:समकालीन परिप्रेक्ष्य”,“पीयूष प्रकाशन, मेरठ, पेज नं०-144।
8. Roy, B.K. Burman,(1977) 'The problem of untouchables' in Ramesh Thapar, (ed.) Tribal caste and religion in India, Mahillan India Co., New Delhi, pp 82-93.
9. Rao.B.S.,(1968).The flaming of Indian constitution, select documents,(Vol-1).New Delhii, pp 944-45.